



उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 27 वीं बैठक दिनांक 31.07.2021 को मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री आनन्द बर्द्धन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री विनय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
4. श्री वी0सी0 तिवारी, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री वी0 के सुमन, सचिव प्रभारी/निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री हरीवीर सिंह, सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
7. श्री सुधांशु गर्ग, डिप्टी टी0सी0(परिवहन), परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्री0 वाई0एस0 पुण्डीर, आर्किटेक-प्लेनर, सिडकुल, देहरादून।
9. डा0 आर0 के0 सिंह, नगर निगम, देहरादून।

बैठक में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सदस्य

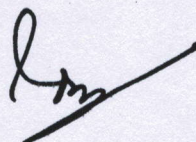
10. डा0 भोला राम, गुरजर, इण्डियन इन्स्ट्रियट आफ टेक्नोलोजी, रुड़की।
11. श्री अशोक बंसल, अध्यक्ष कुमाऊ गढ़वाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, काशीपुर।

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी मान्य सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्य सूची सं0 27.1	बोर्ड की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	26वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया। तदोपरान्त बैठक में सर्वसम्मति से कार्यवृत्त का अनुमोदन दिया गया।
कार्य सूची सं0 27.2	विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों हेतु सहमति शुल्क के निर्धारण प्रदूषण सूचकांक (Pollution Index) के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।	बैठक में विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों हेतु सहमति शुल्कों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि उद्योगों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी उद्योगों के पैमाना (Scale of Industry) के अनुसार कार्यवाही की जाय।

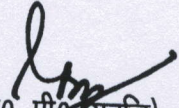
		अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव को मसौदा के रूप में समझा जाय तथा इस प्रस्ताव को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संगठन को उनके टिप्पणी हेतु प्रसारित किया जाय। इसके साथ-साथ उपरान्त विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर उनकी आख्या प्राप्त किया जाय। तदोपरान्त संकलित प्रस्ताव को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
कार्य सूची सं० 27.3	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार एवं अन्य विभागों को दिये गये आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष मा० सदस्यों को अवगत कराने व कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव पर कार्योत्तर उत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
कार्य सूची सं० 27.4	उत्तराखण्ड राज्य के रुड़की में स्थापित एवं संचालित होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट परिवहन संग्रहण निस्तारण व्यवस्था (टी०एस०डी०एफ०) के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा स्वीकृति प्रदान की गयी।
कार्य सूची सं० 27.5	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट मा० सदस्यों के अवलोकन किये जाने के सम्बन्ध में।	बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्तावित वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के प्रकाशन हेतु अनुमोदन दिया गया। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, औद्योगिक संगठनों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रसारित किया जाय।
कार्य सूची सं० 27.6	बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को किस प्रकार एवं किस-किस मद में प्रयोग किया जायेगा के निर्धारण के सम्बन्ध में।	बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्न संशोधन के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बिन्दु सं० क पर उल्लेखित “बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण के बाद प्रदूषण न्यूनीकरण (Reduction

		of Pollution) जोड़ा जाय।” बिन्दु सं० ग (1)पर “सामान्य रूप से बोर्ड द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5.0 करोड़ रुपये तक का वित्तीय सहायता पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिए किया जायेगा।” को निम्नानुसार संशोधित किया जाय “सामान्य रूप से बोर्ड द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया बचत का 75% जो कि रु० 5.0 करोड़ से अधिक न हो का वित्तीय सहायता पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण एवं प्रदूषण न्यूनीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिए किया जायेगा।” नोट के बिन्दु सं० 1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाय। “पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के मामलों में बोर्ड में प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को अलग रखा जाय। इसका प्रयोग पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण एवं प्रदूषण न्यूनीकरण हेतु किया जाय। यथासम्भव जिन क्षेत्रों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जाती है उक्त धनराशि का उसी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण एवं प्रदूषण न्यूनीकरण हेतु किया जाय।” उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रस्ताव में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य विभागों जो कि प्रदूषण न्यूनीकरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके क्षमता निर्माण (Capacity Building) एवं पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में उच्च स्तर के कार्य करने वाले औद्योगिक इकाईयों, संगठनों एवं व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले को भी प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक वर्ष awards (पुरस्कार) दिये जाने को भी इस प्रस्ताव में रखा जाय।
--	--	--



अन्त में सभी मान्य सदस्यों के धन्यावाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त कार्यवृत्त अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

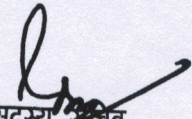

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-06(27वीं बोर्ड बैठक)/2021/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनसे प्राप्त अनुमोदन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री विनय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
4. श्री वी0सी0 तिवारी, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री वी0 के सुमन, सचिव प्रभारी/निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री हर्षवीर सिंह, सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
7. श्री सुधांशु गर्ग, डिप्टी टी0सी0(परिवहन), परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. श्री0 वाई0एस0 पुण्डिर, आकटिक-प्लेनर, सिडकुल, देहरादून।
9. डा0 आर0 के0 सिंह, नगर निगम, देहरादून।
10. डा0 भोलाराम, गुरजर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, रुड़की।
11. श्री अशोक बंसल, अध्यक्ष कुमाऊ गढ़वाल चेम्बर आफ कामर्स।


सदस्य सचिव